

कि उक्त मामले से संबंधित है। अपाठी/वादी का निवेदन है कि उक्त दरतावेलात प्रकरण से संबंधित नहीं है इस कारण से उक्त दरतावेलात की रिपोर्ट पर नहीं लिया जाये।

उभय पक्षों की बहस का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह कि प्रकरण में प्राणी/प्रतिवादी द्वारा भारतीय फोरेंसिक जांच प्रयोगशाला की रिपोर्ट पेश की गयी है तथा जिला कलेक्टर कोटा का निर्णय पेश किया गया है जो कि वाद की दिवादारस्त संपत्ति से संबंधित है, उक्त कारण से जिला कलेक्टर, कोटा का निर्णय 27.02.2024 रिकॉर्ड पर लिया जाता है तथा उसे प्रदर्शित कराने की अनुमति दी जाती है तथा प्रकरण में भारतीय फोरेंसिक जांच प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट पेश की गयी है उसे इस वर्त पर रिकॉर्ड पर लिया जाता है कि संबंधित विशेषज्ञ न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी साक्ष्य दें तथा उक्त संबंधित हस्तलेख विशेषज्ञ ही उक्त रिपोर्ट को प्रदर्शित करा सकेगा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 09.10.2025 पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
अपर जिला न्यायाधीश  
क्रम-1, कोटा (राज.)

3-10-25 वल्लुलाए करीकेन। पत्रावली  
वास्तु साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 16/10/25  
को पेश करे।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
क्रम-1, कोटा (राज.)

16/10/25 वल्लुलाए करीकेन उभय पक्षों की  
वास्तु साक्ष्य वादी में पत्रावली दिनांक  
27-10-25 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
क्रम-1, कोटा (राज.)